

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/वि01-139/2018- 60 (आ०) पटना - 15, दिनांक :- 15.5.2018
सेवा में,

प्रशासनिक पदाधिकारी,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

विषय - वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु सर्पोट फंड के रूप में ₹ 49.00 लाख (उनचास लाख रुपये) मात्र की विमुक्ति।

प्रसंग: विभागीय संकल्प संख्या-6ए/वि01-10157/2017-2969 दिनांक-22.12.2017

उपर्युक्त विभागीय संकल्प द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के मुख्य शीर्ष के अधीन सर्पोट फंड के रूप में 2 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-6ए/वि01-10157/2017-2969 दिनांक-22.12.2017 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु सर्पोट फंड में उपलब्ध राशि से निम्न तालिका के अनुसार ₹ 49.00 लाख (उनचास लाख रुपये) मात्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	प्रस्तावित विमुक्त राशि (अप्रैल-2026 से सितम्बर-2026 तक के लिए)	प्रस्तावित विमुक्त राशि (शब्दों में)
1	2	3	4
1	अररिया	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
2	फारबिसगंज	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
3	बेगूसराय	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
4	तेघड़ा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
5	भागलपुर पूर्व	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
6	आरा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
7	बक्सर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
8	गया	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
9	शेरघाटी	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
10	जमुई	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
11	कटिहार	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
12	खगड़िया	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
13	किशनगंज	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
14	मधेपुरा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
15	पूर्णिया	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
16	धमदाहा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
17	सहरसा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
18	समस्तीपुर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
19	सुपौल	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
20	हाजीपुर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
21	भमूआ	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
22	मुंगेर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
23	बिहारशरीफ	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।

क्र० सं०	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	प्रस्तावित विमुक्त राशि (अप्रैल-2026 से सितम्बर-2026 तक के लिए)	प्रस्तावित विमुक्त राशि (शब्दों में)
1	2	3	4
24	नवादा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
25	बेतिया	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
26	सासाराम	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
27	छपरा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
28	अरवल	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
29	औरंगाबाद	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
30	भागलपुर पश्चिम	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
31	दरभंगा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
32	गोपालगंज	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
33	जहानाबाद	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
34	लखीसराय	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
35	मधुबनी	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
36	झंझारपुर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
37	मुजफ्फरपुर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
38	मोतिपुर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
39	हिलसा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
40	पटना पूर्व	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
41	पटना पश्चिम	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
42	मोतिहारी	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
43	ढाका	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
44	शेखपुरा	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
45	शिवहर	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
46	सीमामढी	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
47	सिवान	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
48	बांका	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
49	बाराहाट	1,00,000.00	एक लाख रुपये मात्र।
कुल-		49,00,000.00	उनचास लाख रुपये मात्र।

3. अनुरोध है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता से CFMS Module के तहत संबंधित प्रमंडल को उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित राशि विमुक्त की जाय।

अभय कुमार सिंह
15/05/26
(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :- 6ए0/वि01-139/2018- (5 (आ०) पटना - 15, दिनांक :- 15.5.26

प्रतिलिपि-सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सर्पोट फंड के लेजर से प्रमंडल को उपर्युक्त विमुक्त राशि से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने, योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु पर किया जायेगा।
- इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हाल में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
- इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

अभय कुमार सिंह
15/05/26
(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)

ज्ञापांक :- 6ए0/वि01-139/2018- (6(आ०) पटना - 15 ,दिनांक :- 15.5.26

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)/ मुख्य अभियन्ता (उत्तर/दक्षिण बिहार)/ विशेष पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4/प्रशाखा-6/प्रशाखा-12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

९

3/15/26
(अभय कुमार सिंह)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (का0प्र0)